2024:सीजीएचसी:32453–डीबी

सैफानKHAN
KHAN

SAIFAN द्वारा
डिजिटल हस्ताक्षरित
दिनांक:
2024.09.05
16:12:45
+0530

ए एफ आर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील नंबर 1721/2018

[विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), महासमुंद (छ.ग.) द्वारा विशेष आपराधिक प्रकरण संख्या 42/2017 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम पूरन विशाल) में पारित दिनांक 02.08.2018 को घोषित निर्णय से उत्पन्न]

पूरन विशाल पिता मोहित विशाल, उम्र करीब 28 साल,
निवासी ग्राम कुर्माडीह, थाना सांकरा,
जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) ----------अपीलकर्ता
(जेल में)

–//विरूद्ध//–

छत्तीसगढ़ राज्य
द्वारा थाना प्रभारी, थाना सांकरा
जिला महासमुंद, (छत्तीसगढ़) -----------**उत्तरवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता : श्री सुधीर कुमार बाजपेयी, अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता। सी.जी. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से नियुक्त

उत्तरवादी : श्री अरविंद दुबे, सरकारी अधिवक्ता और सुश्री अनुराधा जैन, पैनल अधिवक्ता

न्यायालय मित्र : श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

खंडपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

बोर्ड पर निर्णय

सीआरए–1721–2018

27/08/2024

द्वारा न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल,

1. अभियुक्त–अपीलकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर यह आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "POCSO अधिनियम"), महासमुंद (सी.जी.) के प्रावधानों के अंतर्गत गठित विशेष आपराधिक मामला संख्या 42/2017 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम पूरन विशाल) में दिनांक 02.08.2018 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके अंतर्गत उसे दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दोषसिद्धि	सजा
POCSO अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत (तीन बार)	प्रत्येक बार के लिये आजीवन कारावास और 1,000/– रुपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक मामले में 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत (तीन बार)	प्रत्येक बार के लिये आजीवन कारावास और 1,000/– रुपये का अर्थदंड तथा अर्थदंड राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक मामले में 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (भाग–II) के अंतर्गत (तीन बार)	प्रत्येक बार के लिये 1,000/– रुपये के जुर्माने के साथ 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा अर्थदंड राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक मामले में 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

[सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है]

(2) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि अप्रैल, 2017 से सितंबर, 2017 के बीच ग्राम बलदीडीही के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में, जो पुलिस थाना सांकरा, जिला महासमुंद (छ.ग.) के दायरे में आता है, आरोपी–अपीलकर्ता, एक लोक सेवक होने के नाते, उक्त विद्यालय में शासकीय शिक्षक के रूप में पदस्थ, नाबालिग पीड़िताओं क्रमांक 01, 02 और 03 (अ०सा०–13, अ०सा०–12 और अ०सा०–11 क्रमशः) के साथ उनकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध कई बार गंभीर यौन उत्पीड़न किया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और इस प्रकार, उक्त अपराध कारित करने का आरोप लगाया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि जब पीड़ित संख्या 02 (अ०सा०–12) के पिता, अर्थात्, आनंद पटेल (अ०सा०–01) ने पुलिस को लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/01) प्रस्तुत करके मामले की सूचना दी, तो अपीलकर्ता के खिलाफ प्र०सू०रि० (प्रदर्श पी/01) दर्ज की गई और जांच शुरू हुई, जिसमें प्रदर्श पी/08 के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया। आवश्यक सहमति और अनुमति प्राप्त करने के बाद, पीड़ित संख्या 01, 02 और 03 (अ०सा०–13, अ०सा०–12 और अ०सा०–11 क्रमशः) का मेडिकल परीक्षण किया गया, जो डॉ. तारा अग्रवाल (अ०सा०–14) द्वारा किया गया। संबंधित पीड़ित संख्या 1 से 03 की एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/27 से प्रदर्श पी/31) के अनुसार, यह माना गया है कि सभी पीड़ितों के शरीर पर चोटें पाई गईं और उन सभी पर संभोग के निशान हैं। इसके अलावा, सभी पीड़ितों की स्लाइड तैयार की

गई और उनके अंडरगारमेंट्स (पैंटी) के साथ विश्लेषण के लिए पुलिस को सौंप दिया गया, जिसे प्रदर्श पी/41 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। इसके बाद, आरोपी–अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। अपीलकर्ता की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी/20 से प्रदर्श पी/21 है और उसके अंडरगारमेंट्स को भी प्रदर्श पी/40 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उपरोक्त जब्त वस्तुओं को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी/47) के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि पीड़ित संख्या 01 (अ०सा०–13) और पीड़ित संख्या 03 (अ०सा०–11) की स्लाइडों और अंडरगारमेंट्स (पैंटी) पर मानव शुक्राणु/वीर्य के धब्बे पाए गए। इसके अलावा, पीड़ितों की सही आयु का पता लगाने के लिए, उनकी अंकतालिका (अनुच्छेद–ए/1 सी, अनुच्छेद–ए/2 सी और अनुच्छेद–3 ए–सी) और संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर (अनुच्छेद ए/4 से ए/06) की प्रतियां प्राप्त की गईं, जिसमें पीड़ित संख्या 01 (अ०सा०–13) की जन्म तिथि 16.06.2007, पीड़ित संख्या 02 (अ०सा०–12) की जन्म तिथि 10.05.2007 और पीड़ित संख्या 03 (अ०सा०–11) की जन्म तिथि 27.08.2007 अंकित की गई है, जिसका अर्थ है कि सभी पीड़ित अपराध की तिथि पर लगभग 9–10 वर्ष (12 वर्ष से कम) की आयु के नाबालिग थे। तत्पश्चात, गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा उचित जांच के पश्चात अपीलकर्ता के विरुद्ध अधिकारिता वाले सक्षम आपराधिक न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए आरोप–पत्र दाखिल किया गया, जिसे तत्पश्चात विधि के अनुसार सुनवाई एवं विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जिसमें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता ने अपने दोष से इन्कार करते हुए यह कहते हुए बचाव प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 17 गवाहों का परीक्षण कराया और आर्टिकल ए/सी से आर्टिकल–06 के अलावा 48 दस्तावेज प्रदर्शित किए, जबकि अपीलकर्ता ने अपने बचाव के समर्थन में किसी गवाह का परीक्षण नहीं कराया, लेकिन 04 दस्तावेज प्रदर्शित किए।

(5) विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अपीलकर्ता को भा०द०सं० की धारा 377 और 506 (भाग–II) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत भी उसे इस निर्णय की प्रथम कंडिका में उल्लिखित सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता–अभियुक्त ने सजा और सजा के आदेश पर सवाल उठाते हुए यह अपील पेश की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार बाजपेयी ने तर्क किया है कि उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने में विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय बिल्कुल अनुचित है। न्यायालय के समक्ष पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत किए गए बयानों में पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को विचाराधीन अपराधों के लिए दोषी ठहराते हुए विधिक त्रुटि की है। यहां तक कि पीड़ित संख्या 01 और 02 (अ०सा०–13 और अ०सा०–12) ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन

नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विचाराधीन अपराध की तिथि (अर्थात 23.09.2017) पर विचार किया जाए, तो भी पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 का असंशोधित प्रावधान लागू होगा, जिसमें पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अंतर्गत अपराध करने के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा 10 वर्ष की सश्रम कारावास थी और बाद में इसे 16.08.2019 से संशोधित किया गया था। इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ता को भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सोनू कुशवाह**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। इसके अलावा, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **मनोज बनाम महाराष्ट्र राज्य**[2] के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए तर्क किया कि यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा०द०सं० की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 26 (संक्षेप में "सामान्य खंड अधिनियम") और भा०द०सं० की धारा 71 (यानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 09) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के प्रकाश में, अपीलकर्ता को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है और, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसा करते समय गंभीर कानूनी त्रुटि की है और दोनों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (2023) 7 एस सी सी 475
2 2023 एस सी सी ऑनलाईन बॉम 2339

अपराधों के लिए अलग–अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसलिए, वर्तमान अपील को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

(7) इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने तर्क किया कि अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत पेश करके अपराध को संदेह से परे साबित कर दिया है। प्रतिवादी–राज्य की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि पीड़िता संख्या 03 (अ०सा०–11) के बयान के आधार पर, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से घटना का वर्णन किया है और अपीलकर्ता को इस अपराध का लेखक बताया है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों यानी पीड़ितों की एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/27 से प्रदर्श पी/31) और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी/47) के साथ, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को ऊपर वर्णित अपराधों के लिए सही रूप से दोषी ठहराया है और इसलिए, वर्तमान अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का अध्ययन किया है।

(9) वर्तमान मामले में, पीड़िता संख्या 3 (अ०सा०–11) के बयान पर विचार करते हुए, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से घटना का वर्णन किया है और अपीलकर्ता को अपराध का लेखक बताते हुए आरोप लगाया है कि जब वह कक्षा–4 में पढ़ रही थी, तो आरोपी–अपीलकर्ता ने स्कूल के कार्यालय कक्ष में उसके मुंह में और साथ ही उसकी योनि में अपना लिंग प्रवेश कराकर उसका यौन उत्पीड़न

किया। पीड़िता संख्या 3 (अ०सा०–11) के उक्त बयान का उसके दादा, अर्थात् बाबूलाल पटेल (अ०सा०–05) और उसकी मां, अर्थात् कांति पटेल (अ०सा०–06) ने भी समर्थन किया है। इस प्रकार, पीड़िता संख्या 3 (अ०सा०–11) का बयान विश्वास पैदा करता है और इस पर भरोसा किया जा सकता है कि अपीलकर्ता को प्रश्नगत अपराधों का दोषी ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, पीड़िता संख्या 3 (अ०सा०–11) के उपरोक्त रुख की पुष्टि अभियोजन पक्ष की तुलना में रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से भी होती है, जैसे (i) संबंधित पीड़िता संख्या 1 से 3 की एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/27 से प्रदर्श पी/31), जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी पीड़ितों के शरीर पर चोटें पाई गईं और उन सभी पर यौन संभोग के निशान हैं, जो डॉ. तारा अग्रवाल (अ०सा०–14) के बयान से साबित होता है, जिन्होंने सभी पीड़ितों की चिकित्सा जांच की है; (ii) एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी/47), जिसमें यह कहा गया है कि पीड़िता संख्या 01 (अ०सा०–13) और पीड़िता संख्या 03 (अ०सा०–11) की स्लाइडों और अंडरगारमेंट्स (पैंटी) पर मानव शुक्राणु/वीर्य के धब्बे पाए गए थे; और (iii) संबंधित पीड़ितों की अंकतालिका (अनुच्छेद–ए/1 सी, अनुच्छेद–ए/2 सी और अनुच्छेद–3 ए–सी) और संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर (अनुच्छेद ए/4 से ए/06) की प्रतियां, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र कुमार साहू (अ०सा०–07) द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई हैं, जिसमें पीड़ित संख्या 01 (अ०सा०–13) की जन्म तिथि 16.06.2007, पीड़ित संख्या 02 (अ०सा०–12) की जन्म तिथि 10.05.2007 और पीड़ित संख्या 03 (अ०सा०–11) की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जन्म तिथि 27.08.2007 अंकित है, जिसका अर्थ है कि सभी पीड़ित अपराध की तिथि को लगभग 9–10 वर्ष (12 वर्ष से कम) की आयु के नाबालिग थे। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, हमारा विचार है कि यद्यपि पीड़िता सं. 03 (पी.डब्लू.–11) ने अभियोजन पक्ष के मामले का आंशिक रूप से समर्थन किया है, लेकिन उसके नाना बाबूलाल पटेल (पी.डब्लू.–05) और मां कांति पटेल (पी.डब्लू.–06) के समर्थन वाले बयानों और अन्य साक्ष्यों, विशेषकर मेडिकल साक्ष्यों यानी एमएलसी रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि अपीलकर्ता केवल नाबालिग पीड़िता सं. 03 (पी.डब्लू.–11) पर गंभीर यौन उत्पीड़न करने का दोषी है, पूरी तरह से कानून के अनुसार है, हालांकि, अभियोजन पक्ष पीड़िता सं. 01 (पी.डब्लू.–13) और पीड़िता सं. 02 (पी.डब्लू.–12) के रूप में उक्त अपराधों को साबित करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, हमारी सुविचारित राय में, भा०द०सं० की धारा 377, 506 (भाग–I) और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत अपराधों के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल एक मामले में अर्थात पीड़ित संख्या 03 (अ०सा०–11) के लिए पुष्टि की जाती है और, इसे दो मामलों में अर्थात पीड़ित संख्या 01 (अ०सा०–13) और पीड़ित संख्या 02 (अ०सा०–12) के लिए अलग रखा जाता है। हम तदनुसार निर्णय देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) अब, पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अंतर्गत अपराध करने

के लिए आजीवन कारावास की सजा देना न्यायोचित है या इसे कम किया जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने **सोनू कुशवाह** (ऊपर) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर भरोसा करके तर्क दिया है।

(11) **सोनू कुशवाह** (ऊपर) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अंतर्गत दंडनीय गंभीर यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाते हुए उसे उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया और आगे यह पाते हुए कि अपराध किए जाने के समय यानी 16.08.2019 से पहले उक्त अपराध के लिए निर्धारित न्यूनतम सजा 10 वर्ष का कठोर कारावास थी, उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और पैरा–11 से 15 में निम्नानुसार निर्णय दिया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**11.** धारा 6, 16–08–2019 को इसके प्रतिस्थापन से पहले लागू, इस प्रकार है:

> "6. गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमले के लिए सजा: जो कोई भी गंभीर प्रवेशात्मक यौन हमला करता है, उसे कम से कम दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है और अर्थदंड भी देना होगा।"

अपराध की तिथि पर, गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए न्यूनतम सजा दस वर्ष थी। 16 अगस्त 2019 से न्यूनतम सजा बढ़ाकर बीस वर्ष कर दी गई है। हालाँकि, संशोधित प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होगा क्योंकि घटना 16 अगस्त 2019 से पहले हुई है।

12. आश्चर्य की बात है कि उच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 5 लागू नहीं थी, और प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध कम गंभीर यौन उत्पीड़न के अपराध की श्रेणी में आता है, जो POCSO अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने यह मानकर स्पष्ट त्रुटि की कि प्रतिवादी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर यौन उत्पीड़न नहीं था। वास्तव में, विशेष न्यायालय ने प्रतिवादी को धारा 6 के अंतर्गत दंडित करके और उसे

5,000 रुपये के जुर्माने के साथ दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाकर सही किया था।

13. POCSO अधिनियम को विभिन्न प्रकार के बाल शोषण के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसीलिए POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में बच्चों पर यौन हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा 6, अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और विचारण न्यायालय द्वारा की गई न्यूनतम सजा को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान "इससे कम नहीं होगा" वाक्यांश का उपयोग करता है, तो न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम सजा नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने में शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो न्यायालय को कम सजा देने में सक्षम बनाता हो। हालाँकि, हमें POCSO अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला।

14. इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया है, उसके प्रति कोई नरमी दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही जघन्य है जिसके लिए बहुत कठोर सजा की आवश्यकता है। पीड़ित बच्चे के मन पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा। इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय को रद्द करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। आपराधिक अपील संख्या 5415/2018 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18 नवंबर 2021 के विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया जाता है और विशेष सत्र परीक्षण संख्या 134/2016 में विद्वान 8 वें अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, झांसी द्वारा पारित दिनांक 24 अगस्त 2018 के निर्णय और आदेश को बहाल किया जाता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर आपराधिक अपील संख्या 5415/2018 खारिज की जाती है। प्रतिवादी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दस साल के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी और 5,000/– रुपये का अर्थदंड देना होगा।"

(12) इस मामले को ध्यान में रखते हुए और **सोनू कुशवाह (ऊपर)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा पीड़िता संख्या 03 (अ०सा०–11) के बयान तथा पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/27 से प्रदर्श पी/31) और एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी/47) के रूप में अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार करते हुए, पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, हम उसे आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा देना उचित समझते हैं। हम तदनुसार निर्णय देते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया अगला तर्क, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा०द०सं० की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई है, लेकिन सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और भा०द०सं० की धारा 71 (यानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 09) के अंतर्गत, अपीलकर्ता को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है और **मनोज (ऊपर)** के फैसले के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसा करते समय गंभीर कानूनी त्रुटि की है और दोनों अपराधों के लिए अलग–अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

(14) बार में उठाई गई दलील पर विचार करने के लिए, सबसे पहले सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 को नोटिस करना उचित होगा:

> **"26. दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के बारे में प्रावधान:–** जहां कोई कार्य या चूक एक या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत अपराध का गठन करती है, तो अपराधी को उन अधिनियमों में से किसी एक या किसी के अंतर्गत अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।"

(15) सामान्य खंड अधिनियम की उक्त धारा 26 का उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को एक ही कार्य के लिए एक से अधिक बार दण्डित किया जाता है, तो उसे सीमा से अधिक उत्पीड़न होगा। इसलिए उत्पीड़न से बचने के विचार को ध्यान में रखते हुए, यह धारा प्रतिबंधात्मक रवैया अपनाती है और एक ही अपराध के लिए दोहरा अभियोजन चलाने की अनुमति देते हुए, दोहरी सजा पर रोक लगाती है। धारा 26 में एक ही कार्य या चूक के न केवल विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अपराध होने की संभावना की परिकल्पना की गई है, बल्कि अभियुक्त पर उनमें से किसी एक या किसी के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता है, हालांकि उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 26 दोषी पक्षों को दोहरे खतरे या दोहरे दंड से बचाती है। यह धारा यह निर्धारित करती है कि जहां कोई कार्य या चूक दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत अपराध का गठन करती है, तो अपराधी उन अधिनियमों में से किसी एक या किसी एक के अंतर्गत अभियोजित और दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा **(देखें: दिल्ली नगर निगम बनाम शिव**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शंकर[3]**)**। धारा 26 के शुरुआती शब्द बहुत स्पष्ट हैं "कोई कार्य या चूक दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत अपराध का गठन करती है"। यह परीक्षण कि क्या दो अपराध एक जैसे हैं, आरोपों की पहचान नहीं है, बल्कि अपराध के अवयवों की पहचान है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध कहावत *"नेमो डेबेट बिस वेक्सारी सी कॉन्स्टैट क्यूरी क्वॉड सिट प्रो यूना एट ईडेम कॉसा"* पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि किसी को भी दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए यदि अदालत को लगता है कि यह एक ही कारण से है।

(16) यह भी आपराधिक न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां कोई कार्य दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत अपराध बनता है, तो अपराधी पर इनमें से किसी एक अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 **टी.एस. बलिया बनाम टी.एस. रंगाचारी**[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई, जिसमें समान स्थिति से निपटने के दौरान कि क्या उसमें अपीलकर्ता पर एक ही समय में भा०द०सं० की धारा 177 और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 52 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है, ने माना है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि जहां कोई कार्य या चूक दो अधिनियमों के अंतर्गत अपराध बनाती है, अपराधी पर या तो दोनों अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 एआईआर 1971 एससी 815 : (1971) 1 एससीसी 442
4 1968 एस सी सी ऑनलाईन एस सी 68

सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है और पैरा–6 में निम्नानुसार देखा गया है:

> "6. हम इस मामले में उठने वाले अगले प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 और 1922 अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत एक ही समय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि सामान्य खंड अधिनियम (1897 का अधिनियम 10) की धारा 26 के प्रावधानों के आधार पर अपीलकर्ता पर 1922 अधिनियम की धारा 52 या भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि एक ही समय में दोनों धाराओं के अंतर्गत। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है:
>
> > "26. दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के संबंध में प्रावधान। – जहां कोई कार्य या चूक दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत अपराध बनती है, तो अपराधी पर उन अधिनियमों में से किसी एक या किसी एक के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता।"
>
> धारा को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अपराधी के मुकदमे या दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक ही अपराध के लिए अपराधी को दो बार सजा देने पर रोक है। दूसरे शब्दों में, धारा यह प्रावधान करती है कि जहां कोई कार्य या चूक दो अधिनियमों के अंतर्गत अपराध का गठन करती है, अपराधी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोनों अधिनियमों या दोनों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। हम तदनुसार मामले के इस पहलू पर अपीलकर्ता के तर्क को अस्वीकार करते हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) इसी प्रकार, **महाराष्ट्र राज्य बनाम सैय्यद हसन सैय्यद सुभान**[5] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने उसी मुद्दे पर विचार करते हुए, टी.एस. बलिया (ऊपर) के निर्णय पर भरोसा करते हुए माना है कि किसी व्यक्ति पर दोनों कानूनों के अंतर्गत मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन

5 (2019) 18 एस सी सी 145

उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है और पैरा–07 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:

> "7. किसी अपराधी के खिलाफ दो अलग–अलग अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमा चलाने या दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है, लेकिन रोक केवल अपराधी को उस अपराध के लिए दो बार दंडित करने पर है। जहाँ कोई कार्य या चूक दो अधिनियमों के अंतर्गत अपराध बनती है, वहाँ अपराधी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे एक या दोनों अधिनियमों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। [टीएस बलियाह बनाम टीएस रंगाचारी, (1969) 3 एससीआर 65: एआईआर 1969 एससी 701] तथ्यों का एक ही सेट, संभावित मामलों में, दो अलग–अलग कानूनों के अंतर्गत अपराध बना सकता है। कोई कार्य या चूक भा०द०सं० के अंतर्गत अपराध बन सकती है और साथ ही किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपराध भी बन सकती है। [बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान, (1988) 4 एससीसी 655: 1989 एससीसी (क्रि) 27]"

(18) इसके बाद, **कंवर पाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[6] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 "विभिन्न अपराधों" के लिए अभियोजन की अनुमति देती है, लेकिन दो या अधिक अधिनियमों के अंतर्गत "एक ही अपराध" के लिए दो बार अभियोजन और दंड पर रोक लगाती है।

(19) इस स्तर पर, आई.पी.सी. की धारा 71 (यानी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 09) पर ध्यान देना भी उचित होगा, जो कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा प्रदान करती है और इस प्रकार है:

> "जहां कोई भी अपराध ऐसी चीजों से मिलकर बना है, जिनमें से कोई भी हिस्सा खुद अपराध है, वहां अपराधी को उसके एक से अधिक अपराधों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो।

6 (2020) 14 एस सी सी 331

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जहाँ कोई बात किसी ऐसे कानून की दो या अधिक अलग–अलग परिभाषाओं के अंतर्गत आती है जिसके द्वारा अपराधों को परिभाषित या दंडित किया जाता है, या जहाँ कई कार्य, जिनमें से एक या एक से अधिक कार्य स्वयं अपराध का गठन करते हैं, संयुक्त होने पर भिन्न अपराध का गठन करते हैं, वहाँ अपराधी को उस न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी ऐसे अपराध के लिए दी गई सजा से अधिक कठोर सजा नहीं दी जाएगी जो उसका परीक्षण कर रहा है।"

(20) भारतीय दंड संहिता की धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध की सजा की सीमा से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई चीज किसी कानून की दो या अधिक अलग–अलग परिभाषाओं के अंतर्गत आती है, जिसके द्वारा अपराधों को परिभाषित या दंडित किया जाता है, या जहां कई कार्य, जिनमें से एक या एक से अधिक स्वयं अपराध बनते हैं, संयुक्त होने पर एक अलग अपराध बनते हैं, अपराधी को उस न्यायालय से अधिक कठोर दंड नहीं दिया जाएगा जो ऐसे किसी एक अपराध के लिए उसे सुनवाई के लिए दे सकता है। इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 71 उस दंड की सीमा निर्धारित करती है जिसके लिए अपराधी को दंडित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) **संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[7] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भा०द०सं० की धारा 71 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, पहले के मामले के साथ–साथ बाद के मामले में भी अपराधों के तत्व समान होने चाहिए और अलग नहीं होने चाहिए। यह पता लगाने के लिए कि क्या दो अपराध समान हैं, आरोपों की पहचान नहीं बल्कि अपराध के तत्वों की पहचान की जानी होती है ।

7 ए आई आर 2012 एस सी 2844

(22) बंबई उच्च न्यायालय ने **मनोज** (ऊपर) के मामले में भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धारा 71 को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि धारा 377 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए विचारित अपराधी को अलग से दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कृत्य दो परिभाषाओं अर्थात दंड संहिता, 1860 और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अंतर्गत आने वाला अपराध है और पैरा–38 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है:

> "38. ... ... दंड संहिता, 1860 की धारा 375 के अंतर्गत "बलात्कार" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के साथ–साथ POCSO अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत शारीरिक यौन उत्पीड़न के लिए दंडित किया जा सकता है। इसलिए, अदालत का मानना है कि अपराधी को दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 06 के साथ धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अलग से दंडित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कृत्य दो परिभाषाओं यानी दंड संहिता, 1860 और POCSO अधिनियम में आने वाला अपराध है। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अलग से सजा नहीं दी है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(23) उपरोक्त कानूनी स्थिति और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और आई.पी.सी. की धारा 71 के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए यह विचार करना आवश्यक है कि जहां एक सामान्य कार्य को दो या अधिक वैधानिक प्रावधानों/अधिनियमों द्वारा दंडनीय बनाया गया है, जो उन प्रावधानों/अधिनियमों में अपराध का गठन करता है, उस स्थिति में, हालांकि कानूनी लेबल अलग–अलग हैं लेकिन उनके तत्व समान हैं, सजा एक होनी चाहिए। अनिवार्य रूप से, केवल एक ही

दोषपूर्ण कार्य है और विभिन्न कानूनी लेबल दो अलग–अलग "अपराधों" को जन्म दे सकते हैं। दो अलग–अलग विधानों के कारण, एक कार्य दो अलग–अलग अधिनियमों के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसे कार्य/अपराध के तत्व, दोनों अधिनियमों में, एक ही हैं और इसलिए, अपराधी को उनमें से एक से अधिक के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भा०द०सं० की धारा 377 और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए अलग–अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कानून की त्रुटि की है, क्योंकि उक्त अपराध/कार्य के तत्व, जो इसे पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और भा०द०सं० की धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय बनाते हैं, एक ही हैं, जिसके लिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 और भा०द०सं० की धारा 71 के प्रकाश में, अपीलकर्ता को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए सजा सुनाई गई है, इसलिए उसे IPC की धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए कोई अलग सजा देने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उसे दोनों अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। परिणामस्वरूप, IPC की धारा 377 और POCSO अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि करते हुए, उसे एक ही सजा/दंडादेश दिया जा रहा है, वह भी केवल POCSO अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए। हम उपरोक्तानुसार अभिनिर्धारित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) परिणामस्वरूप, पूर्वगामी विश्लेषण के आधार पर, हम निम्नानुसार आदेश देते हैं:

(i) पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 06 के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा [केवल 01 गिनती पर यानी पीड़ित संख्या 03 (अ०सा० –11) के लिए] की पुष्टि की जाती है, हालांकि, **सोनू कुशवाह** (ऊपर) के प्रकाश में, उसे आजीवन कारावास के बजाय 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है, लेकिन अर्थदंड राशि और डिफ़ॉल्ट सजा बरकरार रहेगी;

(ii) अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना [केवल 01 आधार पर अर्थात् पीड़िता संख्या 03 (अ०सा०–11) के लिए] भी पुष्टि की जाती है, लेकिन उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता को उपरोक्त अनुसार पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत अपराध के लिए भी दंडित किया गया है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत अपराध करने के लिए कोई अलग से सजा नहीं दी जाती है और इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत अपराध के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द किया जाता है;

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (भाग–II) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा [केवल 01 मामले में अर्थात् पीड़ित संख्या 03 (अ०सा०–11) के लिए], जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया गया था, एतद्द्वारा पुष्टि/बरकरार रखी जाती है और यह उचित होने के कारण यथावत रहेगी;

(iv) चूंकि अभियोजन पक्ष पीड़ित संख्या 01 (अ०सा०–13) और पीड़ित संख्या 02 (अ०सा०–12) के रूप में अपना मामला साबित करने में विफल रहा है, इसलिए, इन दो मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 506 (भाग–II) और पोक्सो अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा, जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई थी, को रद्द किया जाता है; और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(v) विद्वान विचारण न्यायालय का निर्देश कि अपीलकर्ता की सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी, भी बरकरार रहेगी।

(25) परिणामस्वरूप, इस आपराधिक अपील को आंशिक रूप से ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(26) निर्णय समाप्ति के पूर्व, हमें श्री मनोज परांजपे, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने न केवल अल्प सूचना पर मामले पर विस्तार से बहस की, बल्कि प्रासंगिक तथ्यों और कानूनी स्थिति को भी हमारे संज्ञान में लाया और आगे लिखित तर्क प्रस्तुत किये।

(27) इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय के साथ–साथ जेल अधीक्षक को भी आवश्यक सूचना और कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाए, जहां अपीलकर्ता निरुद्ध है।

सीआरए–1721–2018

सही/–
(संजय के अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

s@if

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur